# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खोरीमहुआ (गिरिडीह)।

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–02/2023–24

अमेरिका राम बनाम चन्द्रशेखर राम

| आदेश की तिथि | आदेश | आदेश पर की गई कार्रवाई |
|---|---|---|

21.8.2025

प्रथम पक्ष :– अमेरिका राम, पे०–स्व० हजारी राम, सा०–पटना, थाना–गावाँ, जिला–गिरिडीह।

द्वितीय पक्ष :– 1. चन्द्रशेखर दुसाध,
2. अनील दुसाध,
3. मनोज दुसाध,
तीनों के पिता–स्व० हरि दुसाध,
सकिन–बिरने, थाना–गावाँ, जिला–गिरिडीह।

यह वाद प्रथम पक्ष की ओर निम्नलिखित वादगत भूमि पर दाखिल खारिज वाद सं०–06/1973–74 में पारित आदेश तथा तदनुरूप द्वितीय पक्ष के पूर्वज छोटु दुसाध के नाम से पंजी–II के भाग–2, पृष्ठ सं०–89 पर कायम जमाबंदी को दोहरी/अवैध जमाबंदी कहते हुए लाया गया है।

| भूमि की विवरणी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अंचल | मौजा | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
| गावाँ | बिरने | 329 | 23 | 753 | 08 डी० |
| | | | | 924 | 12 डी० |
| | | | | 925 | 23 डी० |
| | | | | कुल रकवा | 43 डी० |

प्रथम पक्ष ने वाद के Plaint के माध्यम से कहा है कि – प्रश्नगत भूमि सर्वे सेटलमेंट में गुरसहाय कहार, पिता–मनसा कहार के नाम से दर्ज है। मनसा कहार की मृत्यु के उपरांत अचम्भी राम तथा पुनः अचम्भी राम की मृत्यु के उपरांत उसके तीन पुत्र हजारी राम, काशी राम एवं महावीर राम उक्त भूमि पर दखलकार हुए। काशी राम एवं महावीर राम निःसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार हजारी राम के तीन संतान अमेरिका राम, चेतलाल राम एवं मथुरा

राम प्रश्नगत भूमि पर वंशानुगत दखलकार रहे। अमेरिका राम इस वाद के प्रथम पक्ष है। इस मध्य में वर्ष 1972 में TR No. 246/1972 वाद U/S 145 Cr.PC रामवरण मोदी बनाम काशीराम एवं अन्य के नाम से तत्कालिन SDM, Hazaribagh में वाद चला जिसमें काशीराम (उक्त वाद के द्वितीय पक्ष) इस वाद के प्रथम पक्ष के Favour में फैसला सुनाया गया।

– आगे कहा गया कि – 27.07.2022 के वाद से इस वाद के द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखल को लेकर प्रथम पक्ष को परेशान करने लगे।

– आगे कहा गया कि द्वितीय पक्ष दाखिल खारिज वाद सं०–06/1973–74 के आधार पर दिनांक 27.07.2022 को अंचल अधिकारी के माध्यम से पंजी–II में ऑनलाईन इन्ट्री कराया।

– इस प्रकार प्रथम पक्ष के द्वारा कहा गया कि यह जमाबंदी गलत अवैध एवं दोहरी प्रकृति का है जिसे शीघ्र समाप्त किया जाय। प्रथम पक्ष के द्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया। किन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा यह नहीं बताया गया कि तत्कालिक SDM न्यायालय में चले उक्त वाद का उल्लेख इसमें क्यों किया गया।

– इस वाद के द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित जवाब एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है – कि

i. द्वितीय पक्ष की प्रश्नगत भूखण्ड पर लम्बी अवधि की जमाबंदी है यह जमाबंदी पंजी–II के Vol No. 2 Page No. 89 पर आवेदक के परदादा छुटु दुसाध के नाम पर कायम है।
ii. कि – उक्त जमाबंदी के विरूद्ध 2025 तक लगान भुगतान किया गया है जिसका लगान रसीद संख्या–0575087209 तथा 0080006956 है।

iii. कि – उक्त भूमि पर वर्ष 1949 से 2025 तक शांतिपूर्ण दखल कब्जा कायम है।

iv. आगे कहा गया है कि अंचल कार्यालय, गावाँ के पत्रांक–08, दिनांक 04.01.2025 के जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मौजा–बिरने, थाना सं०–329, खाता सं०–23, प्लॉट सं०–750, 753, 923 वगैरह का कुल रकवा 3.71 एकड़ भूमि है विरूद्ध पंजी–II के Vol No. 4, पृष्ठ सं०–139 में प्रथम पक्ष को $1.85\frac{1}{2}$ ए० भूमि पर जमाबंदी कायम है। वही प्रतिवेदित किया गया कि – द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भूमि (मौजा–बिरने, थाना नं०–329 के खाता सं०–23, प्लॉट सं०–753 में रकवा–08 डी०, प्लॉट सं०–924 में 12 डी० तथा प्लॉट सं०–925 में रकवा–23 डी० सहित कुल रकवा–49 डी० केवाला सं०–4434, दिनांक 16.07.1949 के द्वारा प्राप्त है। जिसकी जमाबंदी पंजी–II के Vol No. 2, पृष्ठ सं०–89 पर छोटु दुसाध के नाम से कायम है तथा लगान भुगतान 2022–23 तक किया गया है।

– अंचल अधिकारी, गावाँ के द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन पत्रांक–08, दिनांक 04.01.2025 का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा वह सब तथ्य प्रतिवेदित किया गया जिसका वर्णन द्वितीय पक्ष ने अपने लिखित जवाब के अंतिम पारा में किया है।

– आगे यह भी प्रतिवेदित किया है कि सन् 1972 में तत्कालिन हजारीबाग जिला के अन्तर्गत के SDM, Giridih के न्यायालय द्वारा U/S – 145 Cr.PC अन्तर्गत निर्णय दिया गया था जिसमें इस वाद के प्रथम पक्ष भी पक्षकार थे।

द्वितीय पक्ष ने अपने कथन की पुष्टि हेतु Sale Deed की छायाप्रति जो कैथी भाषा में है तथा उसका हिन्दी रूपान्तरण पंजी–II की ऑफलाईन

प्रति इत्यादि प्रस्तुत किया जिनका अवलोकन किया गया।

उभय पक्षों के दलीलों साक्ष्यों, दस्तावेजों तथा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर दीर्घकालिक (Longstand) की जमाबंदी है जिसके निर्धारण लिए यह राजस्व न्यायालय सक्षम प्राधिकार नहीं है।

अतः इस परिरिस्थिति में यह राजस्व न्यायालय पीड़ित/विक्षुब्ध पक्ष सिविल न्यायालय का शरण ले सकती है।

इस निर्णय के साथ यह वाद निष्पादित किया जाता है तथा वाद की आगे की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21.8.2025
भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खोरीमहुआ।

21.8.2025
भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खोरीमहुआ।

Digitally signed by SUNIL KUMAR PRAJAPATI
Date: 2025.10.17 18:13:55 +05:30
Location: 10.93.204.68